न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर

R-3646-II/12

बच्चूलाल जैन उम्र 85 वर्ष बल्द श्री जानकी प्रसाद जैन
निवासी रानी दुर्गावती वार्ड, खुरई तह. खुरई जिला सागर (मृत)
द्वारा वैधानिक उत्तराधिकारी –

1. श्रीमति गुलाबरानी उम्र 85 वर्ष पत्नि स्व. बच्चूलाल जैन
2. चन्द्र कुमार जैन उम्र 66 वर्ष बल्द स्व. बच्चूलाल जैन
3. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन उम्र 60 वर्ष बल्द स्व. बच्चूलाल जैन
4. अजित कुमार जैन उम्र 56 वर्ष बल्द स्व. बच्चूलाल जैन
5. राकेश कुमार जैन उम्र 50 वर्ष बल्द स्व. बच्चूलाल जैन
6. राजेश कुमार जैन उम्र 43 वर्ष बल्द स्व. बच्चूलाल जैन
7. श्रीमति विमला जैन पत्नि श्री एम.के. जैन पुत्री स्व. बच्चूलाल जैन
8. श्रीमति पुष्पा जैन पत्नि श्री आर.के. जैन पुत्री स्व. बच्चूलाल जैन

.....अपीलार्थीगण

// विरुद्ध //

1. श्रीमति शांति बाई उम्र 73 वर्ष पत्नि स्व. प्रेमचंद जैन
2. अजय कुमार जैन उम्र 43 वर्ष पत्नि स्व. प्रेमचंद जैन
3. विजय कुमार जैन उम्र 40 वर्ष पत्नि स्व. प्रेमचंद जैन
4. संजय कुमार जैन उम्र 32 वर्ष पत्नि स्व. प्रेमचंद जैन
   सभी निवासी रानी दुर्गावती वार्ड परसा तिगड्डा खुरई
   तह. खुरई जिला सागर म.प्र.
5. श्रीमति किरण आयु 45 वर्ष पत्नि श्री अरविन्द कुमार जैन
   निवासी सुन्दर सदन कुपुरा शीतला माता के पास
   मंदसौर जिला मंदसौर म.प्र.
6. श्रीमति अर्चना जैन आयु 39 वर्ष पत्नि श्री राजकुमार जैन
   निवासी मकान नंबर 95 चौधरयाना मानक चौक झाँसी
7. श्रीमति नीलिमा जैन आयु 36 वर्ष पत्नि श्री प्रदीप कुमार जैन
   निवासी बंजारा होटल के पास, इन्दौर म.प्र.
8. कु. अल्का जैन उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व. श्री प्रदीप कुमार जैन
   निवासी रानी दुर्गावती वार्ड खुरई तह. खुरई जिला सागर
9. म.प्र. शासन द्वारा जिला पंजीयक (दस्तावेज) सागर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3646/II/ 2012 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 591 बी 105/09–10 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों को बहस में सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर भी विचार किया गया। 3/ उभय के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव कलेक्टर आफ स्टाम्पस सागर के प्रकरण कमांक 1 ब 103/02–03 में पारित आदेश दिनांक 19–3–2008 के विरूद्व आवेदकगण की ओर से प्रथम अपील आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो वाद में कार्य–विभाजन स्वरूप अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में हस्तांतरित हुई। आवेदकगण ने आयुक्त न्यायालय में अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित अपील प्रस्तुत की थी, जिसका निराकरण आयुक्त अथवा अपर आयुक्त व्दारा नहीं किया गया, अपितु अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 591 बी 105/09–10 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2011 से अपील श्रवण करने की शक्तियां न होने के आधार पर अपील अमान्य कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।	

4/ कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर के प्रकरण कमांक 1/बी–103/2002–03 के अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खुरई के न्यायालयीन पत्र कमांक क्यू/सी.के. 370/3/10/02 के संलग्न एक इकरारनामा दस्तावेज दिनांक 27–7–76 कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर को मुद्रॉक शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त हुआ, इस दस्तावेज के अनुसार बच्चूलाल पुत्र जानकीप्रसाद एंव प्रेमचन्द्र पुत्र जानकारी प्रसाद के बीच खानदानी संपत्ति का बटवारा किया जाना अंकित था, जो दोनों पक्षकारों के बीच करार है।

सुनवाई के दौरान महिला शॉतिवाई पत्नि स्वर्गीय प्रेमचंद ने एक शपथ पत्र दिनांक 7–3–03 प्रस्तुत कर उनके हिस्से में आई संपत्ति का विवरण बताया, जबकि इकरारनामा में बच्चूलाल पुत्र जानकीप्रसाद एंव प्रेमचन्द्र पुत्र जानकारी प्रसाद के बीच खानदानी संपत्ति का बटवारा होना अंकित है जब दस्तावेज के संलग्न सूची में बच्चूलाल के हिस्से की संपत्ति का विवरण देखा गया एंव प्रेमचंद के हिस्से में आई संपत्ति का विवरण देखा गया , महिला शॉतिवाई पत्नि प्रेमचंद के शपथ पत्र अनुसार उनके हिस्से में आई संपत्ति का विवरण देखा गया – विवरण देखकर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अंकित संपत्ति का मूल्यांकन कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर व्दारा करने वावत निर्णय लेते हुये प्रकरण कमांक 1/बी–103/02–03 में पारित आदेश दिनांक 19–3–2008 से प्रत्येक संपत्ति का विधिवत् मूल्यांकन करते हुये मूल्य निर्धारण किया गया है, तद्नुसार मुद्रॉक शुक्ल निर्धारित कर जमा करने का आदेश देने में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है। फलतः कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर व्दारा

निगरानी कमांक 3646/II/ 2012

प्रकरण कमांक 1/बी–103/02–03 में पारित आदेश दिनांक 19–3–2008 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य

29/4/2012